न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—18/2017/223 (2017/00018)

1. महेशदत्त पचौरी पुत्र अनन्ता राम पचौरी, भूतपूर्व सैनिक, नि0 ए— 35, सेक्टर 47, नोएडा, गोतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश जरिये पॉवर आफॅ अटौर्नी होल्डर विवेक पचौरी पुत्र महेश दत्त पचौरी, नि0 ए—35, सेक्टर 47, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।

अपीलांट

बनाम

1. संजीव पचौरी पुत्र अवधबिहारी वास्तविक नाम तथाकथित नाम (महेशदत्त पचौरी पुत्र अवध बिहारी), नि0 ए—34, लक्ष्मीनारायणपुरी, सूरजपोल दरवाजे के बाहर, जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, दिनांक 17.9.2014 अंतर्गत वाद संख्या 23/2013 .

उपस्थितः—

1. श्री ओ0पी0 भट्ट, वकील अपीलांट ।
2. श्री एन0एस0 राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 29.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.9.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोराज, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर की आराजी खसरा संख्या 715, 716/2991 कुल किता 2 रकबा 3.7900 है0 के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 संजीव पचौरी द्वारा स्वंय को महेश दत्त पचौरी बताते हुए एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भूराजस्व अधि0 2056 के तहत उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नंबर 715, 715/2991 में प्रार्थी महेश दत्त पचौरी का नाम तो दर्ज है परन्तु इनके पिता अवधि बिहारी का नाम दर्ज नहीं है । राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज नहीं होने के कारण वह ऋण आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे भूमि का विकास अवरूद्ध हो गया है । प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का किसी अन्य से कोई सरोकार नहीं है एवं कब्जा भी प्रार्थी का ही चला आ रहा है । दिनांक 3.9.2014 को प्रार्थी संजीव पचौरी द्वारा

पुनः एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 जा0दी0 को दावे में ट्रीट किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि0 का दावा ट्रीट करते हुए जवाब सरकार लेकर व बहस सुनी जाकर अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.4.2014 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर दावा डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । मूल खातेदार महेश दत्तक पुत्र अंताराम सेना से सेवानिवृत व्यक्ति है और करीबन 83 वर्षीय वृद्ध है । वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 715, 716/2991 बतौर सेना कर्मी होने से उसे आवंटित की गई थी तदनुसार नामांतकरण संख्या 526 दिनांक 4.10.1977 को मूल आवंटी महेश दत्त पचौरी के नाम तस्दीक किया गया है। वादिया ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए भू–माफियाओं एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर संजय पचौरी पुत्र अवध बिहारी पचौरी ने स्वंय को महेश पचौरी बताते हुए प्रार्थना पत्र पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि0 प्रस्तुत कर एवं बाद में धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में ट्रीट कराते हुए अधी0न्याया0 के साथ छल–कपट कर मिथ्या कथन करते हुए जानबूझकर गलत पहचान अंकित कर दावा बिना असल भूमिधारी, कब्जेधारी, खाताधारक अपीलांट से तथ्यों को छिपाते हुए उनकी पीठ पीछे डिक्री करवाया है जो निरस्तनीय है। बहस में आगे कथन किया कि जो दावा उक्त अनुसार डिक्री किया गया है वह महेश दत्त पचौरी पुत्र अवध बिहारी पचौरी के नाम खातेदारी में डिक्री पारित की गई है जबकि वास्तविक खातेदार का नाम महशे पचौरी पुत्र अनन्त राम है, महेश दत्तक पचौरी पुत्र अवध बिहारी पचौरी नामक कोई व्यक्ति है ही नहीं । जिस तथ्य को जानबूझकर अधी0न्याया0 से छिपाकर अपीलांट की पीठ पीछे उसकी आराजियात को हड़प करने की नियत से जो डिक्री पारित करवाई है वह प्रथमदृष्टया ही अपासत किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या1 संजीव पचौरी पुत्र अवध बिहारी पचौरी द्वारा उक्त अनुसार स्वंय को महेश दत्त पचौरी पुत्र अवध बिहारी पचौरी बताकर जो न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की है उसके बाबत् संजीव पचौरी व अन्य सहअभियुक्तों के विरूद्ध एक प्रथम सूचना संख्या 12/2015 पुलिस थाना दूदू में भी दर्ज की जा चुकी है और उनके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही भी की जा रही है जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त नहीं किया गया तो मूल खातेदार/आवंटी/अपीलांट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.9.2014 जो प्रकरा संख्या 23/2013 महेशदत्त पचौरी पुत्र अवध बिहारी पचौरी बनाम सरकार में पारित किया गया है को संशोधित करते हुए महेश दत्त पचौरी पुत्र अनन्तराम पचौरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 व प्रार्थना धारा 151 जा0दी0 को दावा अनुसार ट्रीट किये जाने में प्रार्थी पक्षकार

नहीं था । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री में संशोधन नहीं किया गया तो प्रार्थी जो अपील में वर्णित आराजी का मूल आवंटी है महेश दत्त पचौरी पुत्र अनन्तराम के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । प्रार्थी को यदि अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई तो प्रार्थी अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकेगा । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.9.2014 की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थी को दिनांक 6.1.20174 को हुई जिससे अंदर मियाद 30 दिवस में यह अपील पेश की गई है । अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष मूल प्रकरण में पक्षकार ही नही था न ही उसे मूल प्रकरण की जानकारी थी इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी । अपीलांट ने निर्णय की जानकारी होने पर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । राजस्व रिकार्ड में महेशदत्त पचौरी की वल्दियत अंकित नहीं की गई है जबकि महेशदत्त पचौरी के पिता का नाम अवध बिहारी पचौरी है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार मौजामाबद से इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की है जिस पर पैरोकार राज ने सहमति प्रकट की है । इसके उपरांत ही अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर विवादित आराजियात में खातेदार महेशदत्त पचौरी पुत्र अवध बिहारी पचौरी नि0 ए–34 लक्ष्मीनारायणपुरी, सूरजपोल दरवाजे के बहार, जयपुर जिला दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

9. अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं था जबकि अपीलांट स्वंय विवादित आराजी का मूल आवंटी है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित होना प्रथमदृष्टया प्रकट होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.9.2014 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है ।

10. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । चूंकि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को तत्समय नहीं होने के संबंध में किया गया कथन उचित प्रतीत होता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण के गुणावगुणव पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि रेस्पो0 संख्या 1 संजीव पचौरी ने स्वंय को महेश दत्त पचौरी बताते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भूराजस्व अधि0 अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 715, 716/2991 में प्रार्थी महेश दत्त पचौरी का नाम तो दर्ज है परन्तु इनके पिता अवध बिहारी का नाम दर्ज नहीं है । अतः राजस्व

रिकार्ड में प्रार्थी के पिता की वल्दियत अंकित की जावे । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार निर्णय व डिक्री दिनांक 17.4.2014 द्वारा वादी/प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया । अपीलांट द्वारा इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह अपील पेश कर कथन किया है कि विवादित आराजी अपीलांट महेशदत्त पचौरी पुत्र अनन्ताराम को आवंटन हुई थी किन्तु संजीव पचौरी पुत्र अवध बिहारी पचौरी ने स्वंय को महेशदत्त पचौरी पुत्र अवधबिहारी पचौरी बताकर वाद डिक्री करवाया है । अपने कथनों की पुष्टि में अपीलांट ने आर0टी0आई0 के तहत प्राप्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके क्रम संख्या 13 पर महेशदत्त पचौरी पुत्र अनन्ताराम पचौरी अंकित होकर 15 बीघा का आवंटन किया जाना स्पष्ट है । इसी प्रकार अपील पत्रावली के साथ प्रस्तुत भारत निर्वाचन आयोग जारी द्वारा पहचान पत्र में महेशदत्त पुत्र अंनताराम अंकित है । पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 112 दिनांक 8.4.2015 का अवलोकन किया गया । यह रिपोर्ट अपीलांट द्वारा रेस्पो0 संख्या के विरूद्ध दर्ज करवाई गई है । उक्त रिपोर्ट जांच अधिकारी ने संजीव पचौरी तथाकथित महेश दत्तक पचौरी पुत्र अवधबिहारी पचौरी के विरूद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी– भा0द0सं0 का अपराध साबित पाया है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट द्वारा फर्द के साथ पेश दस्तावेजात का विरोध कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया है । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नियुक्त नहीं थे जिससे वे अपनी प्रतिरक्षा में उपरोक्त दस्तावेज पेश नहीं कर सके थे । उपरोक्त दस्तावेजात प्रकरण को निर्णित करने में सहायक एवं आवश्यक दस्तावेजात है इसलिये रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया जाता है तथा उपरोक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में हम प्रकरण का अधी0न्याया0 द्वारा पुनः परीक्षण कराया जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

12. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.9.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को जवाब, साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में जांच कर प्रकरण को गुणावगुण पर आवश्यक रूप से तीन माह की अवधि में निर्णित करे । पक्षकारान दिनांक 24.2.2020 को अधी0न्याया0 में उपस्थित हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 29.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर